न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 106/21 निर्णय दिनांकः– 16/12/2021
(जीसीएमएस संख्या 2021/00183)

1. गिरधारी
2. लिच्छू
पुत्रगण मामचन्द जाति चमार निवासी जोड़ी पट्टा सात्यू जिला चूरू जरिये मुख्त्यारआम सोहनसिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति बाजीगर निवासी वार्ड संख्या 5 चक 14 पीबी सियासर चौगान तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 27–03–2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 27–03–2000 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पिता का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:39:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स के पिता को चक 171 आरडी हाल चक 14 पीबी के मुरब्बा नम्बर 69/28 के किला नम्बर 1 ता 10, 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 19 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 22–03–1976 को किया गया था। जिस पर पूर्व में अपीलांट्स के पिता व वर्तमान में अपीलांट्स काबिज काश्त है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् तमाम किश्तें खजानाराज में जमा करवा जा चुकी है। ऐसी स्थिति में आवंटन पश्चात् अपीलांट्स के पिता व कालान्तर में अपीलांट्स द्वारा तमाम किश्तें जमा करवा दी गई तथा अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। उक्त स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये बिना पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की सम्पूर्ण किश्तें जमा करवाने के उपरान्त भी अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। यदि अपीलांट की कोई किश्त बकाया भी है तो अपीलांट आज दिनांक तक बकाया किश्तें जमा करवाने को तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:39:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—03—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 19—07—21 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट्स के पिता का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—03—2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 19—07—2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में बिना नोटिस अथवा सूचना दिये खारिज किया गया है जबकि पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर किश्तें निरन्तर जमा करवाये जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, आवंटन अधिकारी द्वारा वर्ष 1976 में अपीलांट्स के पिता के [illegible] में आवंटन आदेश जारी किया गया। आवंटन पश्चात् वादग्रस्त [illegible] जरिये नामान्तरणकरण संख्या 33 अपीलांट्स के पिता के नाम व उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलांट्स के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई। [illegible]वली में उपलब्ध दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:39:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तहसीलदार खाजुवाला का पत्र कमांक 691 दिनांक 20–11–2019 जोकि अपीलांट्स के नाम से जारी किया गया है, के अवलोकन पर यह साबित है कि अपीलांट्स के पिता व अपीलांट्स द्वारा दिनांक 23–04–1987 चालान संख्या 142 राशि 476/–, चालान संख्या 3184 दिनांक 14–02–1990 राशि 1671/–, चालान संख्या 3161 दिनांक 15–01–1996 राशि 8300/–, चालान संख्या 847 दिनांक 03–07–1996 राशि 2100/–, चालान संख्या 12 स्पे. सियासर कैम्प दिनांक 16–10–2001 राशि 3000/–, चालान संख्या 313 दिनांक 14–05–2002 राशि 5000/– व चालान संख्या 1102 दिनांक 23–12–2003 राशि 3210/– व ब्याज राशि 5901/–खजानाराज में जमा करवाई गई। जब किश्तें लगातार जमा हो रही थी तो किश्तों के अभाव में अपीलांट्स के विधिवत आवांटन को खारिज किया जाना मनमाना कार्यवाही है। खारिजी आदेश अस्पष्ट है। 16 साल तक लगातार किश्तें जमा करवाने के उपरान्त मनमाने पूर्ण तरीके से एक लाईन के आदेश से आवंटन खारिज करना अविवेकपूर्ण कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही से पूर्व अपीलांट/आवंटी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त आदेश की सूचना भी आवंटी को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–03–2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार, खाजुवाला को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित नहीं की गई हो, अपीलांट्स की यदि कोई बकाया राशि हो तो तीन माह में जमा करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.12.21 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:39:41 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर